तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **नजरसानी निग./टी.ए./71/2024/डीडवाना–कुचामन** **कैलाश बनाम नवरतन सिंह**	नम्बर व तारीख

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री लक्ष्मण कंवरिया, अभिभाषक प्रार्थी ।

आदेश

दिनांकः– 02–02–2024

हस्तगत् नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ द्वारा निगरानी/टी. ए. /4387/2022/नागौर बउनवानी नवरतन बनाम कैलाश में पारित आदेश दिनांक 05–12–2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादी लिखमाराम पुत्र खांगाराम ने प्रतिवादीगण/प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एव 188 आरटीए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। दौराने कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के पश्चात दिनांक 27–07–2022 को विवादित भूमि में वाद के दिन की मौके की स्थिति बहाल रखने का तथा वाद के निर्णय तक मौके की स्थिति कायम रखने के न्यायसंगत आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की जिसे माननीय न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने अविधिक तौर पर दिनांक 05–12–2023 को स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि उनके समक्ष विचाराधीन धारा 212 आरटीए में दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई करते हुए 30 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से निर्णय करे। उनका तर्क है कि विद्वान एकल पीठ ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद वास्ते बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाद पत्र के अंतिम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **नजरसानी निग./टी.ए./71/2024/डीडवाना–कुचामन** **कैलाश बनाम नवरतन सिंह**	नम्बर व तारीख
	निर्णय तक विवादित भूमि को सुरक्षित रखने हेतु मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाना न्यायसंगत है। जिस हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनने के पश्चात स्वीकार कर न्यायोचित आदेश पारित किया गया था। यदि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया गया तो परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए न्यायहित में वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाना आवश्यक है। फिर भी माननीय एकल पीठ ने नजरसानीग्रस्त आदेश पारित कर गंभीर विधिक त्रुटि की है जो ऐरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड की परिभाषा में आती है एवं नरजसानी के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–12–2023 को निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अभिभाषक प्रार्थी की बहस नजरसानी के ग्राहयता पर सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा मण्डल के आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। मण्डल की एकल पीठ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 05.12.2023 द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए निगरानीधीन आदेश दिनांक 27.07.2022 को अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, परबतसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उनके समक्ष विचाराधीन अंतर्गत धारा 212 आरटीए में दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई करते हुए 30 दिन के अंदर आवश्यक रूप से निर्णय पारित करें। अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क यह रहा है कि वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद वास्ते बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाद पत्र के अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि को सुरक्षित रखने हेतु मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाना न्यायसंगत है। यदि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया गया तो परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए न्यायहित में वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाना आवश्यक है। हम न्यायहित में मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–12–2023 में वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **नजरसानी निग./टी.ए./71/2024/डीडवाना–कुचामन** **कैलाश बनाम नवरतन सिंह**	नम्बर व तारीख
	यथास्थिति बनाए रखे जाना, जोड़ना उचित समझते हैं। निष्कर्षतः नजरसानी प्रार्थना पत्र ग्राहयता के स्तर पर ही आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निगरानी/टी. ए./4387/2022/नागौर बउनवानी नवरतन बनाम कैलाश में मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–12–2023 में यह और जोड़ा जाता है कि **"वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखी जाए।"** पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	